न्यायालय तहसीलदार महवा जिला दौसा (राज.)

मिसल नम्बर 266/18 तारीख रजू 23-1-18 रिपोर्ट पटवारी हल्का ऊँचपुरी बनाम श्री [illegible] पुत्र [illegible] जाति [illegible] निवासी [illegible] तहसील महवा

अन्तर्गत धारा 91 राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 20-2-18

आज यह पत्रावली बमुकाम महवा हमारे समक्ष पेश हुई पटवारी हल्का की रिपोर्ट है कि उक्त श्री [illegible] ने ग्राम [illegible] को भूमि ख.न. 435 रकबा 0.20 किस्म चरागाह फसल रबि / खरीफ संवत 2074 में कास्त कर अतिक्रमण किया है। इस पर अप्रार्थी के विरूद्ध प्रकरण अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किया जो बाद तामिल शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी उपस्थित नही आया। उसके द्वारा कोई जबाब प्रस्तुत नही किया गया अतिक्रमी के विरूध्द एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी जो मुताबिक रिपोर्ट पटवारी अतिक्रमण की पुष्टि होती है प्रकरण नियमन योग्य नही है। अतिक्रमी दोषी है। अत : अतिक्रमी के विरूध्द कार्यवाही किया जा उचित है

अत: आदेश है कि अप्रार्थी को अतिक्रमित आराजी ख.न. 435 रकबा 0.20 किस्म चरागाह वाके ग्राम [illegible] से बेदखल किया जाता है। तथा अप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि के वार्षिक लगान का 3.20x50 गुणा 160 शस्ति से दण्डित किया जाता है। तथा इस पर खडी फसल गेहूं को निलाम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। भू.अभिलेख निरीक्षक व पटवारी को अप्रार्थी की खडी फसल को नष्ट / नीलाम करने तथा भौतिक रूप से अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने तथा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश जारी हों। तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी को मांग कायमी वसूली हेतु लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो। नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

तहसीलदार
तहसील-महवा (दौसा)
तहसीलदार महवा

रजिस्टर [illegible] के पेज नं0 56 पर
वर्ष 2017-18 [illegible] नीलामी
की [illegible] 160 रू
की [illegible]
दिनांक 5/3/18 तहसील राजस्व लेखाकार
तहसील-महवा